# कार्यालय कलेक्टर
## जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

क्रमांक/कले/खनि/2020/618 कांकेर, दिनांक 23 मार्च, 2020

प्रति,

समस्त नियोजक/अधिभोगी/कारखाना प्रबंधक/
प्रोपराईटर/संस्था प्रतिष्ठान प्रमुख
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

विषय :– श्रमिकों/कर्मचारियों आदि को वेतन अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान करने तथा संस्थान संचालन के संबंध में ।

संदर्भ :– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, का पत्र क्रमांक/2021/श्र.आ./2020 नवा रायपुर, अटलनगर दिनॉक 21.03.2020 ।

––

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं । वर्तमान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान/स्थापना के कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक (स्थायी/अस्थायी/ठेका) आदि के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भत्ता, एवं अन्य सुविधाओं तथा संस्थान संचालन के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है :–

1. आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि के सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जावे और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था किया जावे ।
2. यदि कोई कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि इस बीमारी से पीड़ित हो तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ–साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे ।
3. यदि किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि के परिवार के सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके परिवार के सदस्य के सहयोग/उपचार हेतु संबंधित कर्मकार को आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे ।
4. यदि इस समय किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि अन्य कारणों से बीमार हैं अथवा उनके परिवार के सदस्य बीमार हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें सवैतनिक अवकाश एवं अन्य सहूलियत दिया जाये ।
5. वर्तमान असाधारण परिस्थिति में आपके संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त/छंटनी/सर्विस ब्रेक न किया जावे, और न ही किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती की जावे ।

6. वर्तमान असाधारण परिस्थिति में यदि किसी भी संस्थान/कारखाना/स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि/कार्यक्रम/कार्य में बदलाव/स्थगित रखने के कारण किसी भी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि को न तो निकाला जायेगा और न ही वेतन भत्ते आदि की कटौती किया जावेगा । ऐसे समस्त परिस्थितियों में सवैतनिक अवकाश दिया जाकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जावे ।
7. नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से उत्पन्न संकटकालीन परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के दृष्टिगत कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावे ।
8. संस्थान/कारखाना का संचालन न्यूनतम कर्मचारी को संलग्न कर किया जावे ।
9. संलग्न कर्मचारियों को निवास से कार्यालय तक स्वयं के साधन से आवागमन हेतु निर्देशित किया जाए ।
10. सम्पूर्ण संस्थान/कारखाना में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु सेनेटाईजर/साबुन/मास्क आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जावे तथा सभी कर्मचारी अधिकारी को इस वायरस से बचने हेतु सलाह दी जावे ।
11. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/168/कले/रीडर/2020 कांकेर, दिनॉक 22.03.2020 का पालन किया जावे ।

(के. एल. चौहान)
**कलेक्टर**
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक/कले/खनि/2020/618 कांकेर, दिनांक 23 मार्च, 2020

**प्रतिलिपि :—**

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर ।
5. श्रमपदाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
7. जिला सूचना अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ शासन के वेब पेज में अपलोड किये जाने बाबत् ।
8. समस्त व्यापारी संघ/श्रमिक संघ, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।

**कलेक्टर**
जिला उत्तर बस्तर कांकेर